अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलांट्स स्व. अलादीन की पुत्री होने तथा वादग्रस्त पुश्तैनी होने पर उसमें उनका हक–हिस्सा विचारण न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। रेस्पोडेंट संख्या दो वादग्रस्त आराजीयात की पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेकर्डेड खातेदार है। इसलिए रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 248/1 रकबा 56 बीघा एवं खसरा नं. 288 रकबा 87 बीघा ग्राम जाम्बा(वर्तमान राजस्व ग्राम चारणाई) पूर्व में अलादीन पुत्री रमज़ू खॉ 1/2 के नाम दर्ज होना प्रतीत होती है। अलादीन की फौतेदगी पर नामांतरकरण संख्या 338 ग्राम जाम्बा के जरिये उनके समस्त विधिक वारिसान् का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के बजाय केवल उनके पुत्र मुबारक खां का नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं मुस्लिम विधि के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट्स स्व. अलादीन की पुत्रियां होने से उनका वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी हिस्सा होना प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः जरिये अस्थाई अंतरिम व्यादेश रेस्पोडेंट्स को आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.02.2025 तक पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी 248/1 रकबा 56 बीघा व खसरा नं. 288 रकबा 87 बीघा ग्राम चारणाई के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। तहरीर जारी हो।

आदेश 39 सीपीसी की पालना में शेष रेस्पोडेंट्स के सम्मन रजिस्टर्ड ए. डी. डाक से भेजने हेतु अपीलांट्स के अधिवक्ता को दस्ती जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर पत्रावली आईंदा दिनांक 05.02.2025 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5/2/25

अपील अपीलांट/रेस्पोडेंट/उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/3/25 को पेश हो। पोर्टल लोकअदालत हेतु पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

18/3/25 पत्रा. पेश। बउलाय अ.। अधि. अपीलांट ने प्रार्थना पत्र वास्ते विड्रा अपील पेश किया प्रति रेस्पो. को दिलायी गई। बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने आग्रह किया लोक-अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। अतः हस्तगत अपील जरिए विड्रा खारिज फरमायी जावे। अधि. रेस्पो. ने अनापत्ति की। तदपरान्त हस्तगत अपील जरिए विड्रा खारिज की जाती है। पत्रा. केमल कुमार हेतु दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर